सामुहिक विवाह पंजीयन के नियम

1. मण्डल द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र में वर–वधू के दो–दो फोटो सहित आवेदन करना होगा तथा वर–वधू दोनों की आयु का प्रमाण–पत्र देना होगा। जिसके अनुसार वधू की उम्र 18 वर्ष एवं वर की उम्र 21 वर्ष अवश्य होनी चाहिये।
2. आवेदन की तिथि मण्डल द्वारा निर्धारित की जाती है। अतः अन्तिम तिथि तक अनिवार्य रूप से आवेदन–पत्र मण्डल के पास निर्धारित राशि 11001/–रूपये के साथ वधू पक्ष द्वारा जमा करवा कर रसीद प्राप्त करनी होगी। एक ही पिता की दो पुत्रियों की शादी का पंजीयन शुल्क 16501/– रूपये होगा।
3. किसी भी स्थिति में आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् अथवा मण्डल द्वारा निर्धारित नियमों की अनुपालना के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. आवेदन में दी गई समस्त जानकारियों के सही होने का दायित्व अभिभावक अथवा वर–वधू का होगा।
5. सामुहिक विवाह में दहेज लेना व देना वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति कन्यादान में कोई उपहार देना चाहे तो समस्त जोड़ों को समान रूप में देना अनिवार्य होगा।
6. वर–वधू की पोशाक तथा अन्य रीति–रिवाज वधू पक्ष के पंचों द्वारा निर्धारित ही मान्य होंगे।
7. कोई भी बन्धू विवाह समारोह स्थान पर किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत अथवा पंचों का आपसी विवाद एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। विवाह हो जाने के पश्चात् आपसी किसी भी विवाद या वर–वधू पक्ष के परस्पर मनमुटाव के लिये आयोजक मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा और न ही उसको आरोपित किया जा सकेगा।
8. वर–वधू का सामाजिक मामला जो समाज में लंबित है तो बिना निपटारे के उसका पंजीयन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. भोजन, टेन्ट, पत्रिका, चाय, जल, वीडियो एवं साऊण्ड व्यवस्था हेतु भामाशाहों के नाम पत्रिका में फोटो सहित प्रकाशित किये जायेंगे। अतः इच्छुक भामाशाह मण्डल से सम्पर्क कर सकते है।

10 कार्यक्रम में यथोचित परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार मण्डल का होगा।